

श्री शीलभक्त याजी

द्वारा हमारी सरकार ने राजा महाराजाओं को जो आश्वासन दिया है उसके बारे में मैं अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि राजा महाराजाओं के अलावा हमने ४५ करोड़ जनता को भी प्लेज दिया है कि हम इस देश में समाजवाद की स्थापना करेंगे। जनता में जो शोषणकारी प्रथा है, समाज में जो विषमता है उसको हम समाप्त करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस समय मुल्क में क्रान्ति हो रही थी, तो हमारे सरदार पटेल ने इन राजा महाराजाओं को बुला कर पूछा कि अभी तो तुम को एक और राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख की गद्दी मिलती है, मकान मिलते हैं, महल मिलते हैं और बहुत सी चीजें तथा सहुलियतें मिलती हैं। अगर विप्लव होगा, तो न सर रहेगा और न इतनी चीजें ही मिलेंगी। इन दो चीजों में से एक चीज पसन्द कर लो। इस तरह से उस समय राजा महाराजाओं ने सरदार पटेल की बात मान ली और उन्हें ये चीजें प्राप्त हो गईं। आज करीब ५१/२ करोड़ रुपया इन राजा महाराजाओं को ग्रीवी-पर्स के रूप में मिलता है। किसी को ३० लाख मिलता है, किसी को ४० लाख, किसी को ५० लाख रुपया मिलता है। बहुतों को तो राज प्रासाद मिले हैं और साथ में कई सी एकड़ जमीन भी मिली हुई है। इन लोगों की प्रापर्टी कलकत्ता, शिमला, बम्बई और मुल्क में कई स्थानों में मौजूद है। इन लोगों ने १२ वर्ष में कई हजार रुपया इकट्ठा कर लिया है। जब हमने राजा महाराजाओं को आश्वासन दिया था उसके बाद हमने देश में से जमींदारी प्रथा का खात्मा कर दिया और बड़ी-बड़ी जिनकी

जमीनें थीं उस पर सीलिंग कर दी। कुछ स्टेट्स में अभी भी सीलिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। जब हमने देश में समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय मान लिया है और उस ओर हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो हमारे समाज में जो इस समय विषमता राजा महाराजाओं की वजह से हो गई है उसको भी खत्म करना चाहिये। इन राजा महाराजाओं को करोड़ों रुपया दे कर हमने निकम्मा कर दिया है और वे आलसी बन कर बैठे हैं जो एक समाजवादी सरकार के लिये उचित नहीं है। जब हमें समाजवाद की स्थापना करनी है तो इन लोगों को भी अवश्य समाज से हटाना ही पड़ेगा। यह बात ठीक है कि हमारे पूज्य नेता श्री जवाहरलालजी ने इन्हें आश्वासन दिया है लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ४५ करोड़ जनता की माली हालत को भी सुधारना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): You may continue the next day when this business is taken up. There is a message.

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE INDIAN TARIFF (SECOND AMENDMENT) BILL, 1963

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Indian Tariff (Second Amendment) Bill, 1963, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th December, 1963.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 16th December, 1963.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 16th December, 1963.